

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/

3432

कोरबा, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
क्रियान्वयन ईकाई,
दशहरा मैदान, निहारिका कोरबा

विषय :- Consultance Services for Project Management phase-I including Preparation of Details Project Report for upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149 B in the State of Chhattisgarh 2/4 lane with paved shoulder configuration (PKg No. NH/IAHE/09) Area 4.493 Ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018

- संदर्भ :-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/IROCH-09/2021/440 दिनांक 04.01.2022
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर का पत्र क्र./ भू-प्रबंध/विविध/115-764/1103 दिनांक 21.5.2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग चांपा-उरगा-छुरी-कटघोरा फोरलेन एन.ए. 149 बी के निर्माण हेतु रकबा 4.493 हे. का प्रत्यावर्तन के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा प्रथम चरण के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र संहित प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है जो आज दिनांक तक आपेक्षित है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा प्रथम चरण के अधिरोपित शर्त क्र. - ii के अनुसार सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) की राशि 2023-24 की राशि आपके द्वारा जमा की गई है। वर्ष 2024-25 की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि अंतर की विवरण निम्नानुसार है :-

1. वर्ष 2024-25 की दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि -

$$= 4.493 \times 2 = 8.986 \text{ हे. या } 10.00 \text{ हे.} \times 1169680/- = 11696800/-$$

आपके द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि - = 9666660

कुल अंतर की राशि = 2030140/-

उपरोक्त CA की राशि 2030140/- रुपये (बीस लाख तीस हजार एक सौ चालीस रुपये मात्र) को बेव पोर्टल पर ई चालान जनरेट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर से अनुमोदन करावें एवं तत्पश्चात राशि RTGS के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा, दिनांक 24/05/2024

पृ. क्रमांक/तक.अ/

3433

- प्रतिलिपि -
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा